भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1012

05 फरवरी 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत अधूरे निर्माण कार्य वाले आवास

†1012. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत योजना की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त होने के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने आवासों का निर्माण कार्य अधूरा रह गया है;
(ख) इन आवासों को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं और निधि जारी करने, लाभार्थियों के अंशदान, ठेकेदारों के कार्य-निष्पादन, भूमि की उपलब्धता और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदन से संबंधित मुद्दे क्या हैं;
(ग) इन आवासों के लिए अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-यू का विस्तार करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत जवाबदेही सुनिश्चित करने, लागत में वृद्धि को रोकने और पात्र लाभार्थियों को निर्माण कार्य पूरा हो चुके आवासों की समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में

स्लम वासियों सहित पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मांग का आकलन करते हैं, पात्रता मानदंड के आधार पर लाभार्थियों का चयन करते हैं और आवास परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं ताकि केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 22.01.2026 तक राजस्थान सहित देश भर में कुल 111.62 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है। इसमें से 96.30 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। जारी की गई और देश भर में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई केंद्रीय सहायता के साथ-साथ पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण/सौंपे गए आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अलावा, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत, राजस्थान सहित देश भर में कुल 10.66 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2.24 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 71,594 आवास पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

आवासों/परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है और आमतौर पर योजना के विभिन्न घटकों में और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार 12-36 महीने लगते हैं।

आवासों को पूरा करने की समय-सीमा विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जैसे ऋणभार मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31 दिसंबर 2025 के बाद भी उन निर्माणाधीन आवासों के चल रहे काम को जारी रखने और तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जहां आवासों का निर्माण पहले ही प्लिंथ स्तर पर पहुंच चुका है और निधियां भी जारी की जा चुकी हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न उपाय करता है। एक व्यापक और मजबूत एमआईएस प्रणाली विकसित की गई है जो सभी हितधारकों को भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित जानकारी का निर्बाध प्रबंधन करने में मदद करती है। एमआईएस जियो-टैगिंग सुविधाओं से युक्त है और आवासों के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के भुवन पोर्टल और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के भारत मैप के साथ एकीकृत है। सूचना के प्रसार के लिए एमआईएस को उमंग मोबाइल ऐप, नीति आयोग डैशबोर्ड और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही मिलें लाभार्थियों के आधार सत्यापन के लिए यूआईडीएआई और जीआईएस आधारित केंद्रीय एमआईएस आदि जैसे विभिन्न लिंकेज किए गए हैं।

मंत्रालय योजना की प्रगति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय पर अनुपालन प्रस्तुत करना शामिल है ताकि आगे कि केंद्रीय सहायता जारी की जा सके और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 05-02-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1012 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता के साथ साथ स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)		वित्तीय प्रगति (करोड़ रूपये में)	
					केंद्रीय सहायता	
			स्वीकृत	निर्माण	जारी की गई	उपयोग की गई
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,06,887	11,23,070	23,800.3	22,668.7
2		बिहार	2,91,422	1,98,305	3,728.70	3,638.4
3		छत्तीसगढ़	2,81,111	2,61,656	4,316.60	4,145.2
4		गोवा	3,146	3,146	75.04	75.0
5		गुजरात	9,72,025	9,46,489	19,989.08	19,739.8
6		हरियाणा	1,14,667	72,385	1,723.50	1,451.8
7		हिमाचल प्रदेश	12,640	11,889	214.66	211.7
8		झारखंड	2,29,156	1,65,694	3,215.57	2,965.8
9		कर्नाटक	5,76,956	3,98,363	7,774.60	7,256.0
10		केरल	1,61,957	1,39,469	2,499.36	2,384.0
11		मध्य प्रदेश	9,46,592	8,91,236	15,555.00	15,369.4
12		महाराष्ट्र	11,85,439	10,21,741	19,907.27	19,508.2
13		ओडिशा	2,03,380	1,68,803	2,689.95	2,429.3
14		पंजाब	1,20,990	1,00,937	2,018.47	1,841.3
15		राजस्थान	2,92,400	2,57,519	5,283.68	5,042.7
16		तमिलनाडु	6,67,138	6,18,774	10,737.68	10,370.4
17		तेलंगाना	2,48,074	2,24,827	3,906.96	3,778.5
18		उत्तर प्रदेश	17,74,949	17,13,563	27,195.11	26,710.4
19		उत्तराखंड	63,605	50,925	1,089.69	982.1
20		पश्चिम बंगाल	6,15,105	5,06,208	8,907.91	8,514.2
उप-योग (राज्य)			**1,06,67,639**	**88,74,999**	**1,64,629.11**	**1,59,082.7**
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,068	8,068	175.91	166.2
22		असम	1,69,626	1,44,057	2,345.51	2,286.5
23		मणिपुर	52,519	22,463	550.63	468.5
24		मेघालय	4,758	2,839	63.23	33.2
25		मिजोरम	39,150	33,946	516.17	502.4

क्र.सं.		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)		वित्तीय प्रगति (करोड़ रूपये में)	
					केंद्रीय सहायता	
			स्वीकृत	निर्माण पूरा किया गया	जारी की गई	उपयोग की गई
26		नागालैंड	31,067	30,147	443.36	408.3
27		सिक्किम	299	219	7.09	4.3
28		त्रिपुरा	87,895	81,906	1,342.02	1,254.5
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)			**3,93,382**	**3,23,645**	**5,443.92**	**5,123.8**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	376	233	3.72	2.9
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	28.78	28.8
31		दमन और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9,947	9,513	208.53	194.3
32		दिल्ली	29,976	29,976	692.53	692.5
33		जम्मू और कश्मीर	42,584	35,161	574.73	434.5
34		लद्दाख	1,283	960	25.23	12.5
35		पुडुचेरी	15,995	12,519	232.67	197.8
उप-योग (यूटी)			**1,01,417**	**89,618**	**1,766.19**	**1,563.2**
कुल योग			**111.62 लाख**	**96.30 लाख***	**1.72 लाख करोड़**	**1.66 लाख करोड़**

* मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के 3.42 लाख पूरे किए गए आवास शामिल हैं।